फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रकरण : श्यामसिंह बनाम सेवाराम

मुकदमा नं. : 120/2020

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
03/8/21: पक्षकारान उप० P/D प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। इन्तजार होकर मिसल दिनांक 17/8/21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
17/8/21: पक्षकारान उप० P/D प्रार्थना पत्र पेश होकर प्रस्तुत है। P/D प्रार्थना पर पक्षकारान को सुना गया। जिन्होंने वाद को माफिक P/D प्रार्थना के अनुसार अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। चूंकि पक्षकारान/पक्षकारगण बंटवारा प्रस्ताव से सहमत है। अतः वाद को अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर प्रसारित किया गया। पत्रावली [illegible] के साथ दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

Scanned with CamScanner

कार्यालय तहसीलदार (मु०अ०) जायल

क्रमांक/मु०अ०/प्राथमिक डिक्री/2021/2919 दिनांक 3/8/2021

प्रेषित :- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महो०
जायल

विषय :- प्राथमिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत!

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके न्यायालय के राजस्व वाद सं. 120/2020 में जारी प्राथमिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, तथा कार्यालय में जमा हो गया, अत: इस पत्र के संलग्न राजस्व वाद सं. 120/2020 में जारी प्राथमिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में श्रीमान जी की सेवामें सादर प्रेषित है।

संलग्न :- रा.वा.सं. 120/2020 में जारी प्राथमिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में।

तहसीलदार (मु०अ०)
जायल

मौका रिपोर्ट

विभाजन प्रस्ताव

मैं अमीलाल मीणा तहसीलदार जावल न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्डाधिकारी महोदय जावल के आदेश क्रमांक/रीडर/2021/439 दि 27-7-2021 श्रीमान तहसीलदार जावल के आदेश क्रमांक/भू.अ./प्रायमिक डिक्री/2021/2817 दिनांक 29-7-2021 की पालना के क्रम में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 02-08-2021 समय 11-30 बजे आराजी खसरा मौजा रोहुआ 125, 17, 56 ग्राम डुगावली का 14, 15, 1336 (16) 17, ग्राम धानता का 281 ग्राम केरवाड़ी खसरा 332 वाके प.ह. रोहुआ, डुगावली, राजोरा, डुगावली पर श्री परसराम मेहरा भू.अभिलेख निरीक्षक डुगावली व हल्का रोहुआ, डुगावली राजोरा के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्डाधिकारी जावल के विचाराधीन प्रकरण सं 120/2020 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस दिनांक 30-7-21 द्वारा जारी किये गये थे। जिनकी तामील विधिवत रूप से कराई गई समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे।

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/प्रतिवादी
1	दयासिंह	पुत्र लेखराम	42	विश्नोई	वादी
2.	लेखराम	पुत्र रतीराम	73	विश्नोई	प्रतिवादी

उपर्युक्त पक्षकार की उपस्थिति में कृषि की मुकाबला मौका निरीक्षण। एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 व 21 के अनुसार निम्न प्रकार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये।

S.No	नाम ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म	हिस्सा	नाम
1	रोहुआ	125	6-1188	का-5	सम्पूर्ण	दयासिंह पुत्र लेखराम जाति विश्नोई सा रोहुआ
2.	केरवाड़ी	332	4-2978	का-1	सम्पूर्ण	— do —

शेष रकबा ग्राम रोहुआ खसरा 17 रकबा 2-6365 हैक्टेयर किस्म का.2 ग्राम रोहुआ खसरा 56 रकबा 3-9012 है किस्म का.1 ग्राम डुगावली का- 14 रकबा 2-2986 है, का 15 2-1691 है, का (1336) (16) रकबा 3.5369 है, का 17 रकबा 2-1281 है. ग्राम धानता का 281 रकबा 3-6017 है शेष यथावत रखी गई है।

(P.T.O.)

Scanned with CamScanner

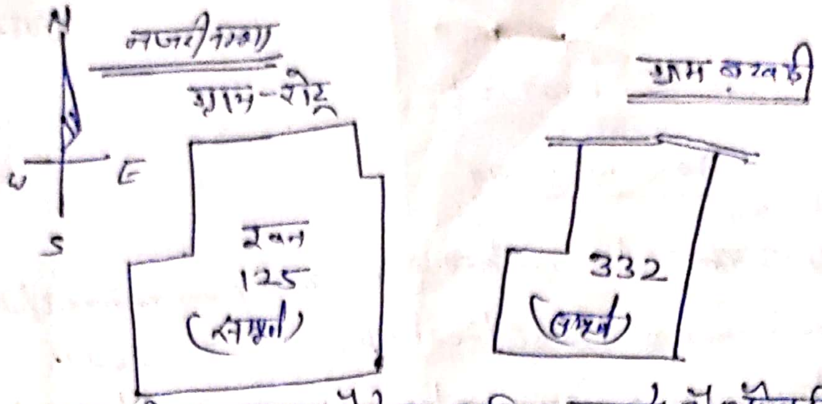

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़कर एवं समझकर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये।

क्र.सं. 1. दयासिन्धु पुत्र भैराराम बिश्नोई सा. रोटू — (हस्ताक्षर) वादी

2. भैराराम पुत्र रतीराम बिश्नोई सा. रोटू — (हस्ताक्षर) प्रतिवादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़कर समझकर हस्ताक्षर करने से इंकार किया वादी व प्रतिवादी।—

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	वादी/प्रतिवादी
		— NIL —		

मौके पर उपस्थित मौतबिरान को उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये। व निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	हस्ताक्षर
1	रामकुंवार पुत्र मांगीलाल		33 वर्ष	बिश्नोई	रामकुंवार
2.	रामस्वरूप पुत्र हरखाराम		50 वर्ष	बिश्नोई	रामस्वरूप

इस प्रकार आज दिनांक 2-08-2021 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

(हस्ताक्षर)
[illegible] प्रसाद [illegible]
[illegible] पटवार मण्डल
रोटू

(हस्ताक्षर)
[illegible]
निरीक्षक (भू.अ.) भू. दुगोली
तहसील जायल (नागौर)
02-08-2021

(हस्ताक्षर)
[illegible]

(हस्ताक्षर)
02.08.2021
दीपेन्द्र सिंह
पटवारी प म दुगोली
तहसील-जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 120/2020 वगैरह
दयासिंधु बनाम लेखराम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :120/2020

गण–
1. दयासिंधु पुत्र लेखराम जातियान–विश्नोई निवासी–रोटू,तहसील जायल जिला– (नागौर)

बनाम

ादीगण –
1. लेखराम पुत्र रतिराम जाति–विश्नोई निवासी–रोटू, तहसील जायल जिला – (नागौर)
2. तहसीलदार जायल

स्थिति :–
1. श्री गोविन्दराम ढाका , अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री मुन्नीलाल कड़वासरा, अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 17/10/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा रोटू तहसील जायल में खेत खसरा 125 रकबा 6.1188 हैक्टर, खसरा नं. 17 रकबा 2.6305 हैक्टर व खेत खसरा नं. 56 रकबा 3. 2 हैक्टर व मौजा दुगोली का खेत खसरा नं. 14 रकबा 2.2986 हैक्टर , खसरा नंबर 15 रकबा 2. 1 हैक्टेयर , खेत खसरा नंबर 1336 रकबा 3.5369 हैक्टेयर , खेत खसरा नंबर 17 रकबा 2.1286 टेयर, मौजा धानणी का खेत खसरा नंबर 281 रकबा 3.6017 हैक्टेयर , मौजा बटवाडी का खेत सरा नंबर 332 रकबा 4.2978 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी रिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2074 को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क व ख) के अनुसार व–नींव अलग–अलग कर ली। बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 दयासिन्धु के हक में मौजा बटवाड़ी का खेत खसरा नंबर 332 रकबा 4.2978 हैक्टेयर सम्पूर्ण व मौजा रोटू का त खसरा नंबर 125 रकबा 6.1188 हैक्टेयर पूरा रखा गया है तथा शेष खोताय यथावत रखे गये है। दी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार लग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे फिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को जस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी वं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनांक 14.10.2020 को उपस्थित न्यायालय होकर ईकबाली जबाव पेश कया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्द राम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की हचान अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासरा ने की। ईकबाली जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

17/8/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू याद्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की

द पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह दयासिन्धु पुत्र लेखराम के पेश साथ नकल जमाबन्दी ग्राम बटवाड़ी तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 68 -1 नकल, ग्राम रोटू खाता संख्या 424 सम्वत् 2073-2076 प्रदर्श-2 नकल, ग्राम धानणी खाता 332 सम्वत् 2073-2076 नकल प्रदर्श-3, ग्राम दुगोली खाता संख्या 906 सम्वत् 2073-2076 प्रदर्श 4। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को र किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन है कि वादपत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने व दी संख्या 1 के खातेदारी में शेष खेताय यथावत रखे जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण तिवादीगण सं. 1 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने त को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 14. 20 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड ल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रकरण हाजा में ादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में दी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है जो जित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक । अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग दारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक .2020 में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी ति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा रोटू,बटवाड़ी,धानणी,दुगोली के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप योजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त रोटू का खेत खसरा नं. 17 रकबा 2.6305 हैक्टर व खेत खसरा नं. 56 रकबा 3.9012 हैक्टर जा दुगोली का खेत खसरा नं. 14 रकबा 2.2986 हैक्टर , खसरा नंबर 15 रकबा 2.1691 हैक्टेयर खसरा नंबर 1336 रकबा 3.5369 हैक्टेयर , खेत खसरा नंबर 17 रकबा 2.1286 हैक्टेयर, मौजा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

…वाणी का खेत खसरा नंबर 281 रकबा 3.6017 हैक्टेयर यथावत प्रतिवादी संख्या 1 के रखे गये …ता मुतदाविया शेष मौजा रोटू तहसील जायल में खेत खसरा नं. 125 रकबा 6.1188 हैक्टर व मौ… …बटवाड़ी का खेत खसरा नंबर 332 रकबा 4.2978 हैक्टेयर का माफिक ईकबाली जबाब अनुसार … …चाहा है। पक्षकारान् द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादीगण का वाद आंशि… स्वीकार कर दिनांक 12.07.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 12.07.2021 की पालना में प्राथमिक बंटव… …प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2919 दिनांक 03.08.2021 प्राप्त को हुआ, जिस पर वकुलाय को सुना गय… वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुस… वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलद… जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया … उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादी दयासिंन्धु एवं लेखराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहम… व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि अन्य मौतबिर व्यक्ति रामकुंवार पुत्र मांगीलाल, रामस्वरूप पुत्र हरभजराम के हस्ताक्षर से भी होती है। इसलिये … वादी का वाद स्वीकार कर मौजा रोटू तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 125,332 में वा… संख्या 1 दयासिन्धु को प्रतिवादी संख्या 1 लेखराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाना त… तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचि… समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार … मौजा बटवाड़ी का खेत खसरा नंबर 332 एवं मौजा रोटू के खेत खसरा नंबर 125 में वादी दयासि… को प्रतिवादी संख्या 1 लेखराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जाय… से प्राप्त जरिये पत्रांक 2919 दिनांक 03.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार कि… जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 दयासिन्धु के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बटवाड़ी का खेत खसरा नंबर 3… रकबा 4.2978 हैक्टेयर सम्पूर्ण व मौजा रोटू का खेत खसरा नंबर 125 रकबा 6.1188 हैक्टे… पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. **शेष खेतायों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लेखराम के खाते में यथावत रखी जाती है।**

निर्णय आज दिनांक 17/8/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर … इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

17/8/2021
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 120/2020 वगैरह
दयासिंधु बनाम् लेखराम

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 120/2020

वादीगण–
1. दयासिंधु पुत्र लेखराम जातियान–विश्नोई निवासी–रोटू,तहसील जायल जिला–(नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. लेखराम पुत्र रतिराम जाति–विश्नोई निवासी–रोटू, तहसील जायल जिला – (नागौर)
2. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–
1. श्री गोविन्दराम ढाका , अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री मुन्नीलाल कड़वासरा, अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका वादी नजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री मुन्नीलाल कड़वासरा व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित नजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 जस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर मौजा बटवाड़ी का खेत खसरा नंबर 332 एवं जा रोटू के खेत खसरा नंबर 125 में वादी दयासिंधु को प्रतिवादी संख्या 1 लेखराम के साथ खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 2919 दिनांक 03. .2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री या जाता है।

वादी संख्या 1 दयासिन्धु के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बटवाड़ी का खेत खसरा नंबर 332 रकबा 4.2978 हैक्टेयर सम्पूर्ण व मौजा रोटू का खेत खसरा नंबर 125 रकबा 6.1188 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

शेष खेतायों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लेखराम के खाते में यथावत रखी जाती है।

17/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

सहायक कलक्टर एस.डी.ओ. जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 120/2020 वगैरह
दयासिंधु बनाम् लेखराम

ज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....17/8/2021...... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
ाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
ाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
ाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
ीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
तफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
ान			मीजान		

–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

17/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner